[2008] 2 एस.सी.आर. 387

वी. सुब्बुलक्ष्मी एवं अन्य

बनाम

एस. लक्ष्मी एवं एक अन्य

(2008 का दीवानी अपील सं. 990)

5 फ़रवरी, 2008

[एस.बी. सिन्हा एवं हरजीत सिंह बेदी, न्यायमूर्तिगण]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - धाराएं 149(2), 166 और 173 मोटर दुर्घटना - वाहन के चालक द्वारा - मृत्यु कारित होना - प्रतिकर (मुआवजा) के लिए दावा - दावेदार द्वारा मृतक की आय का निर्धारण - इसके समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं - अधिकरण द्वारा दावेदार द्वारा निर्धारित आय से कम आय का आकलन करते हुए प्रतिकर अधिनिर्णित करना - वाहन के स्वामी और बीमा कंपनी द्वारा संयुक्त अपील - उच्च न्यायालय द्वारा बीमा कंपनी की अपील को खारिज करना और अधिकरण द्वारा आकलित आय से भी कम आय का आकलन करते हुए प्रतिकर अधिनिर्णित करना - अपील पर, अभिनिर्धारित: यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा आय का किया गया आकलन बिना किसी आधार के है - तथापि, दावेदार द्वारा किए गए दावे के अनुसार, आय के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता कि उच्च न्यायालय ने कोई गंभीर त्रुटि की है - प्रतिकर की मात्रा पर प्रश्न उठाते हुए बीमा कंपनी द्वारा अपील की संधारणीयता का प्रश्न खुला छोड़ दिया गया।

उत्तरदाता संख्या 1 के स्वामित्व वाली एक बस के चालक ने उतावलेपन और लापरवाही से वाहन चलाकर एक दुर्घटना कारित की। इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थियों के पूर्वाधिकारी की मृत्यु हो गई। अपीलार्थियों द्वारा प्रतिकर का दावा करते हुए एक आवेदन दायर किया गया। उन्होंने यह दिखाने के लिए कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए कि मृतक की आय दो स्रोतों से, अर्थात् एक स्वामी व कृषक के रूप में और एक कमीशन एजेंट के रूप में, लगभग 12,500/- रुपये प्रति माह थी। अधिकरण ने आय 9,600/- रुपये प्रति माह आकलित की और तदनुसार प्रतिकर अधिनिर्णित किया। वाहन के स्वामी के साथ-साथ बीमा कंपनी ने भी उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने [वाहन के स्वामी की] अपील को स्वीकार कर लिया और बीमा कंपनी

की अपील को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने आय 7,000/- रुपये प्रति माह आकलित की और राशि का 1/3 भाग काटने तथा 18 का गुणक लागू करने के बाद प्रतिकर अधिनिर्णित किया। अतः यह वर्तमान अपील।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1 प्रतिकर की मात्रा के संबंध में, उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर लाए गए सभी प्रासंगिक साक्ष्यों पर विचार किया है। दुर्घटना के पीड़ित की मृत्यु के बाद आयकर विवरणी दाखिल किए जाने के कारण, उन पर उचित ही अवलंबन नहीं किया गया है। [कंडिका 17] [397-ई, एफ, जी]

1.2 मामले की तथ्यात्मक स्थिति में उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए सभी दस्तावेजों पर भरोसा नहीं किया है। यह सच हो सकता है कि उच्च न्यायालय के पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई आधार नहीं था कि मृतक की आय कृषि कार्य से 4,000/- रुपये और उसके कमीशन के व्यवसाय से 3,000/- रुपये थी, लेकिन जैसा कि दावा किया गया है, यह दिखाने के लिए कोई विश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था कि मृतक 12,500/- रुपये प्रति माह की आय अर्जित कर रहा था। अतः उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई गंभीर त्रुटि की गई नहीं मानी जा सकती। अभिलेख पर कोई सामग्री उपलब्ध न होने के कारण, यह न्यायालय उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है। [कंडिका 18] [398-बी-ई]

2. वर्तमान मामले में, बस का स्वामी एक व्यथित व्यक्ति था। वह स्वयं अपनी एक अपील संधारणीय रख सकता था। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 किसी भी व्यथित व्यक्ति को किसी अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार प्रदान करती है। इस व्यापक प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या अधिनियम की धारा 149 की उप-धारा (2) में निहित वर्जन को ध्यान में रखते हुए, द्वितीय उत्तरदाता प्रतिकर की मात्रा पर प्रश्न उठाते हुए अपील प्रस्तुत कर सकता था, क्योंकि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि पक्षकारों की सूची से द्वितीय उत्तरदाता का नाम हटाए जाने के बाद भी, प्रथम उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत की गई अपील संधारणीय थी। [कंडिका 13 और 14] [397-ए, बी , सी]

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ बनाम निकोलेट्टा रोहतगी एवं अन्य (2002) 7 एससीसी 456; *नरेंद्र कुमार एवं अन्य बनाम यारेनिस्सा एवं अन्य* (1998) 9 एससीसी 202

और चिन्नम्मा जॉर्ज एवं अन्य बनाम एन.के. राजू एवं एक अन्य **(2000) 4 एससीसी 130- बी - संदर्भित।**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : वर्ष 2008 की दीवानी अपील संख्या 990

मदुरै स्थित मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के वर्ष 2002 की दीवानी विविध अपील संख्या 222 में दिनांक 11.2.2006 के अंतिम निर्णय एवं आदेश से।

अपीलार्थियों की ओर से वी. कृष्णमूर्ति, वी. रामसुब्रमण्यम।

उत्तरदाताओं की ओर से अशोक कुमार शर्मा।

न्यायालय का निर्णय

एस.बी. सिन्हा, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया 1. विशेष अनुमति मंजूर की जाती है।

2. प्रथम उत्तरदाता एक बस का स्वामी है। कथित तौर पर, उक्त वाहन के चालक द्वारा उतावलेपन और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण एक दुर्घटना घटित हुई, जिसमें अपीलार्थियों के पूर्वाधिकारी वादिवेलु की मृत्यु हो गई।

3. अधिनियम की धारा 166 के तहत 25 लाख रुपये की राशि के प्रतिकर का दावा करते हुए अपीलार्थियों द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश-एवं-मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, करूर) के न्यायालय में एक आवेदन दायर किया गया था। उक्त कार्यवाहियों में बीमा कंपनी द्वारा एक लिखित कथन दाखिल किया गया था। वाहन के स्वामी द्वारा भी उसी को अपना लिया गया था। अधिकरण के समक्ष, अपीलार्थियों ने यह दिखाने के लिए कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए कि मृतक की आय लगभग 12,500/- रुपये प्रति माह थी। उनके बारे में कहा गया है कि वे एक कृषक के रूप में और नारियल के व्यवसाय में कमीशन अभिकर्ता के रूप में अपने व्यवसाय, दोनों से आय प्राप्त कर रहे थे।

4. अधिकरण ने, अन्य बातों के साथ-साथ, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आयकर विवरणी उक्त वादिवेलु की मृत्यु के बाद ही दाखिल की गई थी, [आय] 9,600/- रुपये प्रति माह आकलित की।

उच्च न्यायालय ने, हालांकि, मृतक की आय उसके कृषि कार्य से लगभग 4,000/- रुपये प्रति माह और उसके कमीशन के व्यवसाय से 3,000/- रुपये प्रति माह आकलित की, जो कुल मिलाकर 7,000/- रुपये प्रति माह होती है और उसमें से उसके व्यक्तिगत खर्चों के मद में 1/3 भाग की कटौती करने पर, उच्च न्यायालय ने यह माना कि परिवार के प्रति उसका योगदान लगभग 4,667/- रुपये प्रति माह होगा। 18 का गुणक लागू करते हुए, आय की हानि ट्रिब्यूनल

(अधिकरण) द्वारा निर्धारित 13,82,400/- रुपये के स्थान पर 10,08,072/- रुपये आकलित की गई।

5. इस प्रकार, अपीलार्थी हमारे समक्ष है।

प्रतिवेदन की तामील होने के बावजूद, प्रथम उत्तरदाता उपस्थित नहीं हुआ है।

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. कृष्णमूर्ति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निवेदन किया कि वाहन के स्वामी और बीमा कंपनी द्वारा की गई एक संयुक्त अपील संधारणीय नहीं थी। इसके अतिरिक्त यह तर्क भी दिया गया कि उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का विश्लेषण किए बिना, मृतक की आय की राशि को विद्वान अधिकरण द्वारा निर्धारित 9,600/- रुपये से मनमाने ढंग से घटाकर 7,000/- रुपये प्रति माह कर दिया।

7. दूसरी ओर, द्वितीय उत्तरदाता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शर्मा ने निवेदन किया कि अधिनियम की धारा 173 के निबंधनों में उच्च न्यायालय के समक्ष अपील संधारणीय थी। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अधिनियम की धारा 173 में प्रयुक्त शब्दावली को ध्यान में रखते हुए, उसकी उप-धारा (2) के तहत उपबंधित सीमा के अधीन रहते हुए, प्रत्येक अधिनिर्णय विरुद्ध अपील संधारणीय होगी और इस प्रकार, यदि बीमा कंपनी की प्रेरणा पर कोई अपील संधारणीय है, तो इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता कि इसे वाहन के स्वामी के साथ मिलकर दायर किया गया था या नहीं।

विद्वान अधिवक्ता ने इसके अतिरिक्त यह तर्क दिया कि अधिकरण इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा है कि दावेदारों/अपीलार्थियों द्वारा मृतक की आय की मात्रा स्थापित करने के उद्देश्य से दाखिल किए गए दस्तावेज पूर्णतः अविश्वसनीय होने के कारण, आय की गणना के प्रयोजन के लिए उन पर विचार नहीं किया जा सकता था।

8. हम प्रारंभ में ही यह ध्यान दे सकते हैं कि यद्यपि उच्च न्यायालय का यह मत था कि जब तक बीमा कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 170 के निबंधनों में न्यायालय की अनुमति प्राप्त नहीं कर ली जाती, तब तक उसकी प्रेरणा पर कोई अपील संधारणीय नहीं होगी, फिर भी उच्च न्यायालय ने यह प्रेक्षित किया कि वाहन के स्वामी के अपीलार्थी होने के कारण, उसकी प्रेरणा पर अपील संधारणीय होगी।

9. संगत कानूनी उपबंधों, अर्थात् धारा 149(2), 170 और 173 पर हमारे द्वारा ध्यान दिया जा सकता है, जो कि इस प्रकार हैं:

"149 (2) कोई भी बीमाकर्ता उप-धारा (1) के अधीन किसी निर्णय या अधिनिर्णय के संबंध में किसी राशि का भुगतान करने के लिए तब तक दायी नहीं होगा, जब तक कि उस कार्यवाही के प्रारंभ होने से पहले, जिसमें ऐसा निर्णय या अधिनिर्णय दिया गया है, बीमाकर्ता को न्यायालय या, यथास्थिति, दावा अधिकरण के माध्यम से ऐसी कार्यवाही शुरू किए जाने की सूचना न दे दी गई हो, अथवा ऐसे निर्णय या अधिनिर्णय के संबंध में तब तक दायी नहीं होगा जब तक अपील लंबित रहने के दौरान उसके निष्पादन पर रोक लगी हो; और जिस बीमाकर्ता को ऐसी किसी कार्यवाही के शुरू किए जाने की सूचना इस प्रकार दी गई है, वह उसमें एक पक्षकार बनाए जाने तथा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर उस कार्यवाही में प्रतिरक्षा करने का हकदार होगा, अर्थात्:-

(क) यह कि पॉलिसी की किसी विनिर्दिष्ट शर्त का भंग हुआ है, जो निम्नलिखित शर्तों में से एक हो, अर्थात्:-

(i) वाहन के उपयोग को वर्जित करने वाली शर्त-

(क) भाड़े या पुरस्कार के लिए, जहां बीमा संविदा की तारीख को वह वाहन भाड़े या पुरस्कार के लिए चलाने के परमिट द्वारा आच्छादित नहीं है, या

(ख) संगठित रेसिंग और गति परीक्षण के लिए, या

(ग) उस परमिट के अधीन अनुमत न किए गए किसी प्रयोजन के लिए जिसके अधीन वाहन का उपयोग किया जा रहा है, जहां वह वाहन एक परिवहन वाहन है, या

(घ) साइड-कार संलग्न किए बिना, जहां वह वाहन एक मोटर साइकिल है; या

(ii) किसी नामित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अथवा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो सम्यक रूप से अनुज्ञप्त नहीं है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे अयोग्यता की अवधि के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है, वाहन चलाए जाने को वर्जित करने वाली शर्त; या

(iii) युद्ध, गृहयुद्ध, दंगा या नागरिक उपद्रव की परिस्थितियों के कारण कारित या उनके द्वारा वर्धित क्षति के लिए दायित्व को वर्जित करने वाली शर्त; या

(ख) यह कि पॉलिसी इस आधार पर शून्य है कि उसे किसी तात्विक तथ्य को गैर-प्रकटीकरण द्वारा या किसी ऐसे तथ्य के व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया था जो किसी तात्विक विशिष्टता में मिथ्या था।

धारा 170 - कतिपय मामलों में बीमाकर्ता को पक्षकार बनाना - जहां किसी जांच के अनुक्रम में, दावा अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि-

(क) दावा करने वाले व्यक्ति और उस व्यक्ति के बीच, जिसके विरुद्ध दावा किया गया है, दुरभिसंधि है, या

(ख) वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध दावा किया गया है, दावे का विरोध करने में असफल रहा है,

तो वह, उन कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जाएगा, यह निर्देश दे सकेगा कि वह बीमाकर्ता जो ऐसे दावे के संबंध में दायी हो सकता है, कार्यवाही में एक पक्षकार के रूप में पक्षकार बनाया जाएगा और इस प्रकार पक्षकार बनाया गया बीमाकर्ता, धारा 149 की उप-धारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन सभी या किन्हीं भी आधारों पर दावे का विरोध करने का अधिकार रखेगा जो उस व्यक्ति को उपलब्ध हैं जिसके विरुद्ध दावा किया गया है।

धारा 173- अपीलें- (1) उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, दावा अधिकरण के किसी अधिनिर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उस अधिनिर्णय की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर, उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा:

परंतु ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिससे ऐसे अधिनिर्णय के निबंधनों के अनुसार कोई राशि भुगतान करने की अपेक्षा की गई है, कोई भी अपील उच्च न्यायालय द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि उसने उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित रीति से, पच्चीस हजार रुपये या इस प्रकार अधिनिर्णित राशि का पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, उसके पास जमा न कर दिया हो:

परंतु यह और कि उच्च न्यायालय नब्बे दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता समय पर अपील करने से किसी पर्याप्त कारण से निवारित रहा था।

(2) दावा अधिकरण के किसी अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी यदि अपील में विवादित राशि दस हजार रुपये से कम है।"

10. वाहन के मालिक के साथ मिलकर बीमा कंपनी द्वारा की गई अपील की संधारणीयता इस न्यायालय के समक्ष *नरेंद्र कुमार एवं एक अन्य बनाम यारेनिस्सा एवं अन्य* [(1998) 9 एससीसी 202] के मामले में विचार के लिए आई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वाहन के मालिक द्वारा की गई अपील इस तथ्य के बावजूद संधारणीय है कि अधिनिर्णय के निबंधनों के अनुसार, उसे बीमा कंपनी द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी है, यह कहते हुए कि;

"6.....यदि अधिनिर्णय अपकृत्यकर्ताओं के विरुद्ध आया है, तो इस तर्क को स्वीकार करना कठिन है कि अपकृत्यकर्ता एक "व्यथित व्यक्ति" नहीं है, जैसा कि कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा *कांतिलाल एंड ब्रदर्स बनाम रामरानी देबी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शकुंतला बाई, नाहर सिंह बनाम मनोहर कुमार, राधा किशन सचदेवा बनाम फ़्लाइट लेफ़्टिनेंट एल.डी. शर्मा* के मामलों में केवल इस आधार पर अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 96 की योजना के अधीन यदि अपकृत्यकर्ताओं के विरुद्ध कोई डिक्री या अधिनिर्णय दिया गया है, तो बीमाकर्ता निर्णय का उत्तर देने के लिए ऐसे दायी है "मानो वह कोई निर्णय-ऋणी हो"। यह बात उन अपकृत्यकर्ताओं से, जो निर्णय का उत्तर देने के लिए संयुक्ततः और पृथकतः दायी हैं, अधिनियम की धारा 110-डी के अधीन अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं छीन लेती। यदि किसी न किसी कारण से दावेदार अपकृत्यकर्ताओं के विरुद्ध अधिनिर्णय का निष्पादन कराना चाहते हैं क्योंकि वे बीमाकर्ता से धन वसूल करने की स्थिति में नहीं हैं, तो विधि उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकती है और इसलिए, जब तक अधिनिर्णय या डिक्री उन्हें प्रतिकर की राशि का भुगतान करने के लिए दायी बनाती है, वे धारा 110-डी के अर्थ के भीतर व्यथित व्यक्ति हैं और अपील प्रस्तुत करने के हकदार होंगे। किंतु केवल इस आधार पर कि एक संयुक्त अपील प्रस्तुत की गई है और यह पाया जाता है कि अपीलकर्ताओं में से एक, अर्थात् बीमाकर्ता, अपील

प्रस्तुत करने के लिए सक्षम नहीं था, हम यह समझने में असमर्थ हैं कि बीमाकर्ता की अपील को खारिज या अस्वीकार करने के बाद अपकृत्यकर्ता, जो कि वाहन का मालिक है, की अपील को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता। यह दृष्टिकोण अपनाना कि मालिक एक व्यथित पक्षकार नहीं है क्योंकि बीमा कंपनी निर्णय का उत्तर देने के लिए कानूनन दायी है, एक विसंगतिपूर्ण स्थिति पैदा करेगा क्योंकि तब अपकृत्यकर्ताओं द्वारा किसी भी अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी, क्योंकि यही तर्क वाहन के चालक के मामले में भी लागू होता है। इस प्रश्न का निर्णय थोड़ा अलग तरीके से किया जा सकता है। क्या केवल बीमा कंपनी के विरुद्ध दावा आवेदन दायर किया जा सकता है यदि अपकृत्यकर्ता अधिनियम की धारा 110-डी के अधीन व्यथित पक्षकार नहीं हैं? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक होगा। यदि ऐसा है, तो वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध दावा आवेदन अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए और अधिनिर्णय की मांग की जानी चाहिए, अन्यथा बीमाकर्ता को नोटिस नहीं दिया जाएगा और वह निर्णय का उत्तर देने के लिए ऐसे दायी नहीं होगा मानो वह कोई निर्णय-ऋणी हो। इसलिए, प्रथम सिद्धांत के आधार पर यह प्रतीत होगा कि यह तर्क कि वाहन का मालिक एक व्यथित पक्षकार नहीं है, संधारणीय नहीं है।"

यह इसके अतिरिक्त अभिनिर्धारित किया गया था कि;

"**7.** उपर्युक्त कारणों से, हमारी यह राय है कि बीमाकर्ता और अपचारी वाहन के मालिक द्वारा संयुक्त अपील के मामले में भी यदि अपकृत्यकर्ताओं के साथ-साथ बीमाकर्ता के विरुद्ध कोई अधिनिर्णय दिया गया है, भले ही बीमाकर्ता द्वारा दायर की गई अपील सक्षम न हो, तो भी इसे इस रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। बीमाकर्ता का नाम हटाकर वाद-शीर्षक को उपयुक्त रूप से संशोधित किए जाने के बाद अपकृत्यकर्ता अपनी अपील को आगे बढ़ा सकता है।"

11. हालाँकि, इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने *चिनम्मा जॉर्ज और अन्य बनाम एन.के. राजू एवं एक अन्य* [(2000) 4 एससीसी 130] के मामले में यह विचार व्यक्त किया :

"6. स्वीकार्य रूप से, धारा 149 की उप-धारा (2) में दिए गए आधारों में से कोई भी ऐसा आधार मौजूद नहीं है जिसके तहत बीमाकर्ता दावा याचिका में अपनी प्रतिरक्षा कर सके। ऐसा होने पर, बीमाकर्ता के पास दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील

दायर करने का कोई अधिकार मौजूद नहीं था। तथापि, वाहन मालिक एन.के. राजू को सह-अपीलकर्ता के रूप में जोड़कर, उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गई जिसके परिणामस्वरूप आक्षेपित निर्णय आया। जहाँ तक बीमाकर्ता का संबंध है, उन आधारों में से कोई भी आधार अपील की विषय-वस्तु नहीं था जिन पर बीमाकर्ता दावा याचिका में अपनी प्रतिरक्षा कर सकता था। हम ऊपर पहले ही यह उल्लेख कर चुके हैं कि हम आक्षेपित निर्णय से यह समझ पाने में असमर्थ रहे हैं कि वाहन मालिक दावा अधिकरण के अधिनिर्णय से स्वयं को कैसे व्यथित महसूस कर रहा था। आक्षेपित निर्णय दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध वाहन मालिक या यहाँ तक कि अपचारी बस के चालक की भी किसी शिकायत या व्यथा को नहीं दर्शाता है। बीमाकर्ता द्वारा अपील में वाहन मालिक या चालक को केवल इसलिए साथ जोड़कर—जब मालिक या चालक कोई व्यथित व्यक्ति नहीं हैं—उस कानून का मज़ाक उड़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो बीमाकर्ता को उन सीमित आधारों के सिवाय, जिन पर वह दावा याचिका में अपनी प्रतिरक्षा कर सकता था, कोई भी अपील दायर करने से प्रतिबंधित करता है। हम केवल बीमित व्यक्ति को साथ जोड़ने मात्र से बीमाकर्ता द्वारा की गई अपील की वैधता पर अपनी स्वीकृति की मुहर नहीं लगा सकते। कानून के उपबंध को इस तरह से कमजोर नहीं किया जा सकता। हमें मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में प्रतिकर के अधिनिर्णय से संबंधित कानूनी उपबंध के वास्तविक उद्देश्य को प्रभावी बनाना होगा और बीमाकर्ता को चोर दरवाजे से उन आधारों पर प्रतिरक्षा करने या अपील करने का अधिकार देने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो कानून द्वारा अनुमत नहीं हैं। कोई भी अन्य व्याख्या अन्यायपूर्ण परिणाम उत्पन्न करेगी और बीमाकर्ता के लिए किसी भी अधिनिर्णय को चुनौती देने के द्वार खोल देगी। हमें एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना होगा जो अधिनियम के व्यापक उद्देश्य को विफल न करे। न्यायालय को उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर अधिनियम के वास्तविक उद्देश्य को प्रभावी बनाना होगा।"

7. धारा 146, 147, 149 और 173 अधिनियम की योजना के अंतर्गत हैं और जब इन्हें एक साथ पढ़ा जाता है तो इनका अर्थ यह होता है कि: (1) मोटर वाहन का तृतीय पक्ष जोखिम के विरुद्ध बीमा कराना कानूनी रूप से बाध्यकारी है। बिना बीमा वाले वाहन को चलाना एक अपराध है जो तीन महीने तक के कारावास या जुर्माने से, जो 1,000/-

रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडनीय है; (2) बीमा पॉलिसी को अधिनियम की धारा 147 में निहित आवश्यकताओं का अनुपालन अवश्य करना चाहिए; (3) बीमाकर्ता के लिए यह बाध्यकारी है कि वह तृतीय पक्ष जोखिमों के संबंध में बीमित व्यक्ति के विरुद्ध दिए गए निर्णयों और अधिनिर्णयों को तुष्ट करे। ये धारा 149 की उप-धारा (1) और (7) हैं। वे आधार जिन पर बीमाकर्ता अपने दायित्व से बच सकता है, धारा 149 की उप-धारा (2) में दिए गए हैं।

8. यदि बीमा पॉलिसी से बचने के लिए बीमाकर्ता के पास धारा 149 की उप-धारा (2) में निहित शर्तों में से कोई भी शर्त मौजूद नहीं है, तो वह अधिनिर्णय को तुष्ट करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, वह अधिनिर्णय से व्यथित व्यक्ति नहीं हो सकता। उस स्थिति में बीमाकर्ता को दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई भी अपील दायर करने से वर्जित कर दिया जाएगा।"

12. *चिनम्मा जॉर्ज* के मामले में, वाहन मालिक ने अधिकरण के उन निष्कर्षों को चुनौती नहीं दी थी कि बस को चालक द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाया जा रहा था। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपील को बनाए रखने के लिए वाहन मालिक कोई व्यथित व्यक्ति नहीं था। इसी उपर्युक्त संदर्भ में इस न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि अधिनियम की धारा 149 की उप-धारा (2) के अधीन निर्धारित आधारों में से किसी भी आधार के संतुष्ट न होने पर, बीमा कंपनी द्वारा की गई अपील संधारणीय नहीं थी, और यह विचार व्यक्त किया था कि दावा याचिका में प्रतिरक्षा करने के लिए सीमित क्षेत्र रखने वाला बीमाकर्ता, किसी अपील में स्वयं को वाहन मालिक/चालक के साथ जोड़कर इससे बच नहीं सकता है, जब वाहन मालिक/चालक कोई व्यथित व्यक्ति नहीं है, और इस प्रकार, उसे कानून का मज़ाक उड़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

13. वर्तमान मामले में, बस का मालिक एक व्यथित व्यक्ति था। वह स्वयं अपनी एक अपील बनाए रख सकता था। अधिनियम की धारा 173 किसी भी व्यथित व्यक्ति को अधिनिर्णय से अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान करती है।

14. वर्तमान मामले में, हमारे लिए इस व्यापक प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या अधिनियम की धारा 149 की उप-धारा (2) में निहित वर्जन को ध्यान में रखते हुए, दूसरा उत्तरदाता प्रतिकर की मात्रा पर प्रश्न उठाते हुए अपील प्रस्तुत कर सकता था, क्योंकि उच्च

न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि पक्षकारों की सूची से दूसरे उत्तरदाता का नाम हटा दिए जाने के बाद भी पहले उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत की गई अपील संधारणीय थी।

15. हम केवल यह उल्लेख कर सकते हैं कि यद्यपि इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ बनाम निकोलेटा रोहतगी एवं अन्य [(2002) 7 एससीसी 456] के मामले में उपर्युक्त दोनों निर्णयों का संदर्भ दिया गया है, फिर भी उसमें भी विशेष रूप से यह अभिनिर्धारित नहीं किया गया था कि मालिक और बीमाकर्ता द्वारा की गई संयुक्त अपील संधारणीय नहीं होगी।

16. तथापि, इस मामले में, बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को खारिज कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने केवल वाहन मालिक की अपील को ही ग्रहण किया है।

17. जहाँ तक अपीलार्थियों के पक्ष में अधिनिर्णित प्रतिकर की मात्रा के संबंध में प्रश्न का सरोकार है, हमारी यह राय है कि उच्च न्यायालय ने अभिलेख में लाए गए सभी सुसंगत साक्ष्यों पर विचार किया है।

दुर्घटना 7.5.1997 को हुई थी। आयकर विवरणी 23.6.1997 को दायर किए गए थे।

प्रदर्श पी-8 पट्टा विलेख है। यह एक अपंजीकृत दस्तावेज़ था। हालाँकि यह तात्पर्यित था कि यह दस्तावेज़ 10.4.1993 को निष्पादित किया गया था, फिर भी इसकी वास्तविकता संदेहास्पद थी। स्टाम्प पेपर वर्ष 1983 में खरीदा गया था लेकिन उसमें यह दिखाने के लिए कूटरचना किया गया था कि इसे 1993 में खरीदा गया था। किराएदार द्वारा दी गई तात्पर्यित रसीदें भी बिना स्टाम्प की थीं।

18. उपर्युक्त तथ्य-स्थिति में, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर किए गए उपर्युक्त सभी दस्तावेज़ों पर भरोसा नहीं किया है। यह सच हो सकता है कि उच्च न्यायालय के पास इस निष्कर्ष पर पहुँचने का कोई आधार नहीं था कि मृतक की आय कृषि कार्य से 4,000/- रुपये और उसके कमीशन व्यवसाय से 3,000/- रुपये थी, लेकिन जैसा कि दावा किया गया है, यह दिखाने के लिए कोई विश्वसनीय दस्तावेज़ पेश नहीं किया गया था कि मृतक प्रति माह 12,500/- रुपये की आय अर्जित कर रहा था। हमारी राय में, इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई गंभीर त्रुटि की गई नहीं मानी जा सकती। गुणांक को लागू करने के संबंध में कोई विवाद नहीं है।

इस प्रकृति के मामले में, कुछ हद तक अनुमान लगाना अपरिहार्य है। यह न्यायालय इस प्रश्न पर विचार कर सकता था बशर्ते अपीलार्थियों द्वारा अभिलेख में कुछ ऐसी सामग्री लाई गई होती जिस पर भरोसा किया जा सके। रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध न होने के कारण, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं हैं।

19. इसलिए, हमारी यह राय है कि यह ऐसा उपयुक्त मामला नहीं है जहाँ इस न्यायालय को उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना चाहिए। अपील खारिज की जाती है। कोई खर्च नहीं।

के.के.टी. अपील खारिज की जाती है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।